


राजस्थान - सरकार  
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर  
क्रमांक:- खअ/जालोर/मानचित्र/डी.एस.आर./2022/ 1853

दिनांक:- 15/09/22

**कोटेशन हेतु आमंत्रण**

निदेशालय के पत्र क्रमांक -निदे/अनिखा/पर्या/डीएसआर/2019/799-807 दिनांक 24.06.2022 की पालना में जिला जालोर की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) तैयार की जानी है, जिस हेतु कन्सलटेन्ट को कार्य दिया जाना है। इस हेतु संबंधित NABET/NABL से मान्यता प्राप्त पर्यावरण कन्सलटेन्ट से इच्छुक फर्म/कन्सलटेन्ट अपने लेटर पेड पर बन्द लिफाफे में कार्यालय खनि अभियन्ता जालोर में व्यक्तिगत या डाक से विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि से 15 दिवस में सायंकाल 5 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त लिफाफा बन्द कोटेशनों को विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि से 15 दिवस में सायंकाल 5:30 बजे गठित कमेटी द्वारा खोली जाकर सफल निविदादाता को नियमानुसार कार्यादेश दिया जावेगा। कोटेशन की शर्तें निम्नानुसार हैं।

- 1 डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी **Sustainable Sand Mining Management Guideline, 2016 And Monitoring Guideline For Sand Mining 2020** के एवं निदेशालय के उपरोक्तानुसार पत्र के अनुसार होगी।
- 2 वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट एवं खनिज बजरी हेतु पुर्नभरण (replenishment study) की रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
- 3 स्वीकृत दर पर फर्म का भुगतान निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर से बजट प्राप्त होने पर किया जावेगा।
- 4 चयनित फर्म/कन्सलटेन्ट को भुगतान ऑन लाइन किया जावेगा। भुगतान हेतु फर्म/कन्सलटेन्ट को बैंक का ब्यौरा देना होगा।
- 5 चयनित फर्म/कन्सलटेन्ट द्वारा दो माह की अवधि में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार कराकर जिला कलक्टर जालोर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला कलक्टर से सत्यापन करा (Seac/Seiaa) को अनुमोदन हेतु भिजवायेगा।
- 6 चयनित फर्म/कन्सलटेन्ट की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
- 7 निविदा से संबंधित अंतिम निर्णय निविदा कमेटी का मान्य होगी।
- 8 डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट हेतु आवश्यक फिल्ड डाटा व अन्य कार्यालय संबंधित डाटा अपने स्तर से प्राप्त करने होंगे।


  
राजेंद्र चौधरी  
खनि अभियन्ता  
जालोर




क्रमांक :- सम/ 1854-59

दिनांक :- 15/8/22

- 1 श्रीमान निदेशक महोदय, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर ।
- 2 श्रीमान अतिरिक्त निदेशक खान, जयपुर (नोडल अधिकारी बजरी मामलात)
- 3 श्रीमान अतिरिक्त निदेशक खान, जोधपुर ।
- 4 श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता जोधपुर ।
- 5 नोटिस बोर्ड कार्यालय खनि अभियन्ता जालोर
- 6 रक्षित पत्रावली

  
खनि अभियन्ता  
जालोर

६८   
S.S.M

राजस्थान सरकार


कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर  
प्लॉट नम्बर 123-124, III फेज रिको इण्ड. एरिया, भीनमाल रोड़, जालोर

क्रमांक:-ख.अ./जालोर/मानचित्र/डी.एस.आर./2022/1816 दिनांक:- 10/08/22

कोटेशन हेतु आमंत्रण

निदेशालय के पत्र क्रमांक -निदे/अनिखा/पर्या/डीएसआर/2019/799-807 दिनांक 24.04.2022 की पालना में जिला जालोर की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) तैयार की जानी है, जिस हेतु कन्सलटेन्ट को कार्य दिया जाना है। इस हेतु संबंधित NABET/NABL से मान्यता प्राप्त पर्यावरण कन्सलटेन्ट से इच्छुक फर्म/ कन्सलटेन्ट अपने लेटर पेड पर बन्द लिफाफे में कार्यालय खनि अभियन्ता जालोर में व्यक्तिगत या डाक से तिथि दिनांक 10.08.2022 से 15 दिवस में सायंकाल 5 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त लिफाफा बन्द कोटेशनों को तिथि 10.08.2022 से 15 दिवस बाद सायंकाल 5:30 बजे गठित कमेटी द्वारा खोली जाकर सफल निविदादाता को नियमानुसार कार्यदेशक दिया जावेगा। कोटेशनों की शर्तें निम्नानुसार हैं।

1. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guideline,2016 And Monitoring Guideline For Sand Mining 2020 के एवं निदेशालय के उपरोक्तानुसार पत्र के अनुसार होगी।
2. वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट एवं खनिज बजरी हेतु (Replenishment study) की रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
3. स्वीकृत दर पर फर्म का भुगतान निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर से बजट प्राप्त होने पर किया जावेगा।
4. चयनित फर्म/ कन्सलटेन्ट को भुगतान ऑनलाईन किया जावेगा। भुगतान हेतु फर्म/ कन्सलटेन्ट को बैंक का ब्यौरा देना होगा।
5. चयनित फर्म/ कन्सलटेन्ट द्वारा दो माह की अवधि में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार कराकर जिला कलक्टर जालोर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला कलक्टर से सत्यापन करा (Seac/Seiaa) को अनुमोदन हेतु भिजवायेगा।
6. चयनित फर्म/कन्सलटेन्ट की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
7. निविदा से संबंधित अंतिम निर्णय निविदा कमेटी का मान्य होगी।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट हेतु आवश्यक फिल्ड डाटा व अन्य कार्यालय संबंधित डाटा अपने स्तर से प्राप्त करने होंगे।

  
10 8 22


(राजेश हाडा)  
खनि अभियन्ता  
जालोर

राजस्थान - सरकार  
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जालोर  
क्रमांक:- खअ/जालोर/मानचित्र/डी.एस.आर./2022/1732 दिनांक:- 12/7/22

कोटेशन हेतु आमंत्रण

निदेशालय के पत्र क्रमांक - निदे/अनिखा/पर्या/डीएसआर/2019/799-807 दिनांक 24.06.2022 की पालना में जिला जालोर की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) तैयार की जानी है, जिस हेतु कन्सलटेन्ट को कार्य दिया जाना है। इस हेतु संबंधित NABET/NABL से मान्यता प्राप्त पर्यावरण कन्सलटेन्ट से इच्छुक फर्म/कन्सलटेन्ट अपने लेटर पेड पर बन्द लिफाफे में कार्यालय खनि अभियन्ता जालोर में व्यक्तिगत या डाक से विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि से 15 दिवस में सायंकाल 5 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त लिफाफा बन्द कोटेशनों को विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि से 15 दिवस में सायंकाल 5:30 बजे गठित कमेटी द्वारा खोली जाकर सफल निविदादाता को नियमानुसार कार्यादेश दिया जावेगा। कोटेशन की शर्तें निम्नानुसार हैं।

- 1 डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guideline, 2016 And Monitoring Guideline For Sand Mining 2020 के एवं निदेशालय के उपरोक्तानुसार पत्र के अनुसार होगी।
- 2 वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट एवं खनिज बजरी हेतु पुर्नभरण (replenishment study) की रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
- 3 स्वीकृत दर पर फर्म का भुगतान निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर से बजट प्राप्त होने पर किया जावेगा।
- 4 चयनित फर्म/कन्सलटेन्ट को भुगतान ऑन लाइन किया जावेगा। भुगतान हेतु फर्म/कन्सलटेन्ट को बैंक का ब्यौरा देना होगा।
- 5 चयनित फर्म/कन्सलटेन्ट द्वारा दो माह की अवधि में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार कराकर जिला कलक्टर जालोर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला कलक्टर से सत्यापन करा (Seac/Seiaa) को अनुमोदन हेतु भिजवायेगा।
- 6 चयनित फर्म/कन्सलटेन्ट की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
- 7 निविदा से संबंधित अंतिम निर्णय निविदा कमेटी का मान्य होगी।
- 8 डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट हेतु आवश्यक फिल्ड डाटा व अन्य कार्यालय संबंधित डाटा अपने स्तर से प्राप्त करने होंगे।

  
(राजेश हाडा)  
खनि अभियन्ता  
जालोर